भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3010
18 दिसम्बर, 2025 को उत्तर दिये जाने के लिए

प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को सुदृढ़ बनाना

†3010. श्रीमती पूनमबेन माडमः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश भर में स्ट्रीट वेंडरों हेतु संपार्श्विक मुक्त कार्यशील पूंजी ऋणों तक पहुँच विस्तार हेतु प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) को सुदृढ़ करने के लिए कदम उठाए हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या स्ट्रीट वेंडरों के बीच डिजिटल ऑनबोर्डिंग बढ़ाने और नकदरहित भुगतान अपनाने को प्रोत्साहन देने हेतु कदम उठाए गए हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री
(श्री तोखन साहू)

(क): जी, हां। सरकार ने देश भर में प्रधान मंत्री पथ विक्रेता आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना को सशक्त करने और पथ विक्रताओं को जमानत मुक्त कार्यशील पूंजी सावधि ऋण आसानी से उपलब्ध कराने के लिए कई उपाए किए हैं। पुन:निरूपित योजना में जनगणना नगरों, शहरी क्षेत्र समूहों, अर्ध-शहरी क्षेत्रों इत्यादि में चरणबद्ध तरीके से लाभ दिए जाते हैं, जिससे आजीविका के अधिक अवसर पैदा होंगे।

19 नवंबर, 2025 तक, देश भर में 68.89 लाख से अधिक पथ विक्रेताओं को 14,595 करोड़ रु. के 99.07 लाख से अधिक ऋण संवितरित किए जा चुके हैं।

इसके अलावा, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) समय-समय पर रेडियो जिंगल, टेलीविज़न विज्ञापन और समाचार पत्र विज्ञापन के माध्यम से ब्रॉडकास्टिंग जैसे जागरूकता

अभियान चलाता है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को योजना के लाभ देने और जानकारी प्रसारित करने के लिए नियमित तौर पर स्थानीय भाषाओं में सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) सामग्री उपलब्ध कराई जाती है।

(ख): जी, हां। पथ विक्रेताओं के बीच डिजिटल ऑनबोर्डिंग को बढ़ावा देने और नगद भुगतान को अपनाने के लिए उपाए किए गए हैं। पीएम स्वनिधि योजना के तहत, डिजिटल अपनाने को प्रोत्साहित करने के लिए, पथ विक्रेता लाभार्थियों को ऋण की हर किश्त के लिए 12 महीने की अवधि के लिए हर महीने 100 रुपये तक का कैशबैक दिया जाता है (अधिक से अधिक डिजिटल प्रोत्साहन 1200/प्रति वर्ष)। इसके अलावा, पुन:निरूपित योजना में पथ विक्रेता लाभार्थियों को कम से कम 2,000 रुपये की थोक खरीद पर डिजिटल लेन-देन करने पर 4 तिमाहियों के लिए प्रत्येक तिमाही में अधिक से अधिक 100 रुपये का कैशबैक देने का प्रावधान है। जून 2020 में योजना शुरू होने से लेकर 19 नवंबर 2025 तक, योजना के तहत पथ विक्रेता लाभार्थियों को कैश बैक प्रोत्साहन के तौर पर 242 करोड़ रुपये की धन राशि जारी की जा चुकी है। डिजिटल रूप से सक्रिय पथ विक्रेताओं की संख्या बढ़ाने के लिए समय-समय पर स्व-निधि से समृद्धि/लोक कल्याण मेले जैसे अभियान चलाए जाते हैं।

*****